

राजस्थान-सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

दिनांक - 15/01/2022

क्रमांक - स. 3 (7) (2) सेवानिवृत्ति/अभि/14/ 754-98
प्रेषिति -

निदेशक, पेंशन विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषय - दिनांक 01.07.2021 से 31.12.2021 तक सेवानिवृत्त हो रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों की सूची जारी करने बाबत।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत अभियोजन विभाग में दिनांक 01.07.2021 से 31.12.2021 की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र०स०	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	अधिवार्षिक आयु प्राप्त करने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ओम प्रकाश चौहान पुत्र श्रीलक्ष्मीनारायण	वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन, कोटा	09-07-61	31-07-2021
2.	श्री राम कुवार मीणा पुत्र श्री वीरवल	अ०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर	11-08-61	31-08-2021
3.	श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा	स०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, भीलवाडा	01-09-61	31-08-2021
4.	श्री प्रहलादपुरी गोस्वामी पुत्र श्री चन्द्र कुमार	अ०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, भीलवाडा	01-09-61	31-08-2021
5.	श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री किरोडी लाल	अ०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, सर्वाईमाधोपुर	05-11-61	30-11-2021
6.	श्री शिव कुमार आचार्य पुत्र श्री सोहनलाल	स०प्र०अ०	उप निदेशक अभियोजन, बीकानेर	07-11-61	30-11-2021
7.	श्रीमती मधु पैगोरिया पत्नी श्री अशोक पैगोरिया	स०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर प्रथम	24-11-61	30-11-2021
8.	श्रीमती संतोष पत्नी स्व० श्री देवी सिंह	वरिष्ठ सहायक	उप निदेशक अभियोजन, बीकानेर	19-11-61	30-11-2021
9.	श्री राजेश कुमार शेखावत पुत्र श्री रामसिंह	वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर	28-12-61	31-12-2021

—Sd—
(राजेन्द्र कुमार सैनी)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है -

- समस्त उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूची का सत्यापन कर उनसे संबंधित कार्मिक के यदि सेवानिवृत्त आदेश जारी नहीं हुये हैं या ऐसा कोई कार्मिक जिसका नाम उक्त सूची में नहीं हो तो कार्मिक के विरुद्ध नियम 16 एवं 17 तथा 19 सी.सी.ए. के अन्तर्गत वर्तमान में कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, राजकीय बकाया होने/नहीं होने का प्रमाण पत्र, राजकीय आवास आवंटित होने/ न होने का प्रमाण पत्र सहित सेवा पुस्तिका के साथ सेवानिवृत्ति की दिनांक से 06 माह पूर्व प्रकरण आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाये जावे। स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कार्मिकों के प्रकरणों में भी उक्त वर्णित तथ्यों सहित कार्मिक का स्वे. सेवानिवृत्ति लेने का कारण, तथा कार्यालयध्यक्ष की उस पर विस्तृत टिप्पणी सहित निर्धारित अवधि में इस निदेशालय को प्रेषित करें, उक्त सूचनाओं के अभाव में अछूरे प्रकरण भिजवाने अथवा देरी से भिजवाने वाले कार्यालयध्यक्षों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जावेगी।
- रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर